# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 995/2014**

राजकुमार **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. आयुक्त, पुलिस, जयपुर शहर।
2. उप आयुक्त, पुलिस (मुख्यालय) जयपुर शहर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 13.10.2014
**आदेश की दिनांक** : 05.10.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री एम.एम.महर्षि, अभिभाषक
**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की योग्यात्मक परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति प्रदान की जावे। चूंकि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र है, जिसे आलोच्य आदेश दिनांक 28.05.2013 के द्वारा उसे अयोग्य घोषित किया गया। जबकि अपीलार्थी अनुभव के आधार पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र है और उसे उक्त पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2011–12 के बजाय वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पदोन्नति उक्त पद पर दी जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी दिनांक 12.01.1992 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ और हैड कांस्टेबल के पद पर उसे रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक 21.02.2005 के द्वारा प्रदान की गई और सहायक

उप निरीक्षक के पद पर 175 पद के लिए पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2009–10 के लिए आदेश दिनांक 31.01.2013 के द्वारा आवेदन मांगे गए, जिसमें हैड कांस्टेबल पद का अनुभव गैर स्नातकधारियों के लिए 5 वर्ष का एवं स्नातकधारियों के लिए 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया, जिसका लिखित परीक्षा हेतु हैड कांस्टेबल के नाम प्रकाशित किए गए, जिसमें अपीलार्थी का नाम भी दर्शाया गया और दिनांक 04.05.2013 को लिखित परीक्षा में भाग लिया तथा दिनांक 14.05.2013 परिणाम घोषित किया गया और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 62 पर दर्शाया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.05.2013 के द्वारा यह कहते हुए अपीलार्थी को अपात्र घोषित कर दिया कि अपीलार्थी का 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं है। अपीलार्थी ने जून, 2009 में स्नातक योग्यता अर्जित की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के विरूद्ध 141 हैड कांस्टेबल की सूची प्रकाशित की गई। आदेश दिनांक 31.01.2013 के द्वारा 175 रिक्त पदों में से 119 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थे, जिसमें केवल 141 हैड कांस्टेबल सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए चयनित हुए, जिसमें सामान्य वर्ग से 115, 7 एसटी वर्ग से एवं 19 एससी वर्ग से हैड कांस्टेबल से ए.एस.आई. पद के लिए चयन किए गए और 4 पद सामान्य वर्ग से रिक्त हैं। रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध ए.एस.आई. पद के लिए 148 पद के लिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सूचना जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया और अपीलार्थी ने उक्त परीक्षा पास की और आदेश दिनांक 30.08.2013 के द्वारा चयन किया गया। अपीलार्थी ने सफलतापूर्वक पीसीसी पूर्ण की और दिनांक 01.05.2014 के द्वारा सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की गई। परंतु अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध उचित समय पर न्यायालय के समक्ष नहीं पहुंच सका, जिसमें अपीलार्थी को अपात्र मानते हुए उसे रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध उक्त पद पर आदेश दिनांक 28.05.2013 के द्वारा पदोन्नति से वंचित रखा गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की योग्यात्मक परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति प्रदान की जावे। चूंकि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र है, जिसे आलोच्य आदेश दिनांक 28.05.2013 के द्वारा उसे अयोग्य घोषित किया गया। जबकि अपीलार्थी अनुभव के आधार पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र है और उसे उक्त पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2011–12 के बजाय वर्ष 2010–11 के

विरूद्ध पदोन्नति उक्त पद पर दी जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति वर्ष 2004–05 के कोटे में दिनांक 05.09.2005 को की गई। अपीलार्थी स्नातक संबंधी शिक्षा प्रमाण पत्र का सत्यापन किए जाने पर शिक्षा प्रमाण पत्र पर दिनांक 01.04.2009 के पश्चात् जारी होने के कारण हैड कांस्टेबल की सेवा दिनांक 01.04.2009 को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं करने के कारण अपात्र घोषित किया गया। अपीलार्थी का स्नातक परीक्षा का परिणाम जून, 2009 में आया था। परंतु दिनांक 01.04.2009 को अपीलार्थी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करता था और उचित समय पर स्नातक योग्यता अर्जित नहीं होने के कारण अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध एएसआई पद के लिए अपात्र घोषित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 12.01.1992 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ और हैड कांस्टेबल के पद पर उसे रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक 21.02.2005 के द्वारा प्रदान की गई और सहायक उप निरीक्षक के पद पर 175 पद के लिए पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2009–10 के लिए आदेश दिनांक 31.01.2013 के द्वारा आवेदन मांगे गए, जिसमें हैड कांस्टेबल पद का अनुभव गैर स्नातकधारियों के लिए 5 वर्ष का एवं स्नातकधारियों के लिए 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद की योग्यात्मक परीक्षा में बैठने एवं उक्त पद पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नत नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध आदेश दिनांक 21.02.2005 के द्वारा पदोन्नत किया गया है और सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें उक्त पद के लिए गैर स्नातक कार्मिकों से हैड कांस्टेबल पद का 5 वर्ष का अनुभव एवं स्नातकधारी कार्मिकों से हैड कांस्टेबल पद का 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं

हैं कि अपीलार्थी की पदोन्नति हैड कांस्टेबल के पद पर दिनांक 05.09.2005 को हुई है और इस प्रकार एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी को गैर स्नातक मानते हुए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अपीलार्थी ने स्नातक योग्यता जून, 2009 में अर्जित की जबकि विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन मांगे गए। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष से पूर्व ही स्नातक योग्यता अर्जित कर चुका था। जहां तक गैर स्नातक मानते हुए अपीलार्थी का हैड कांस्टेबल के पद का 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण न होने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2004–05 के विरूद्ध पदोन्नत हुआ है और विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु जो अनुभव मांगा गया है, हमारे मत में अपीलार्थी एएसआई के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पात्र माने जाने के लिए 5 वर्ष का पूर्ण अनुभव रखता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 28.05.2013 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को ए.एस.आई. के पद पर रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध उसके अनुभव को एवं उसकी स्नातक योग्यता को ध्यान में रखकर पात्र मानते हुए उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में बैठने एवं नियमानुसार योग्य पाए जाने पर उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा यदि अपीलार्थी पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो समस्त पारिणामिक लाभ आदि प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथी से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**